भारत का माननीय सर्वो च्च न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील कमांक 690 / 2014

मध्यप्रदेश शासन		अपीलार्थी
ৰ	नाम	
ऊधम और अन्य		प्रत्यर्थीगण

निर्णय

एन. वी. रमन्ना न्यायमूर्ति :

- (1) यह वर्तमान अपील, अपीलार्थी राज्य द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्डपीठ, ग्वालियर) के आपराधिक अपील कमांक—659—2011 में पारित अंतिम आदेश दिनांकित 06.11. 2012 के विरुद्ध निर्देशित की है, जिससे यहां प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अपील उच्च न्यायालय द्वारा भागतः स्वीकार की और भारतीय दण्ड संहिता की धारा— 326 सहपठित धारा—34 और भा.द.सं. की धारा—452 (इसके उपरात भा.द.सं. से संबोधित करेंगे) अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को पहले ही व्यतीत की हुई अविध में बदल दिया।
- (2) अभियोजन का प्रकरण हैं कि फरियादी ने 15.04.2008 की रात के 9.00 बजे रिपोर्ट दर्ज की, जब वह अपने घर के अन्दर तीन अन्य लोगों के साथ बैठा था, तब प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण हथियारों से सज्जित होकर अन्दर घुसे। विशेष रूप से, प्रत्यार्थी क्मांक— 1 और 3 कुल्हाडी लिये थे, जबिक प्रत्यार्थी क्मांक—2 और 4 लाठियाँ लिये थे। प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण ने फरियादी से पूछा, उसने उसकी गाय को क्यों नहीं बांधा और तत्पश्चात, प्रत्यार्थी क्मांक—4 के चिल्लाने पर, प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण और उस समय मौजूद अन्य लोगों ने उस पर हमला किया, परिणामस्वरूप उसको कई चोटे कारित हुई। प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगणा ने कथित तौर पर फरियादी को धमकी दी कि यदि वह अपनी गाय को सीमित नहीं रखता है तो उसे मार दिया जाएगा।

- (3) विचारण न्यायालय ने प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगणगण का विचारण किया और अंततः उन्हें भा.द.सं. की धारा—326 सहपठित धारा—34 के साथ—साथ भा.द.सं. की धारा 452 के अपराध के लिए दोषसिद्धि किया। प्रत्येक प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगणगण को भा.द.सं. की धारा—326 सहपठित धारा—34 के अपराध के लिए 3 साल का सश्रम कारावास और रूपये 250/— (रूपये दो सौ पचास केवल) भुगतने की सजा दी गई। जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम की स्थिति में उन्हें छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना था। सभी सजाएँ विचारण न्यायालय द्वारा साथ—साथ चलाने के लिए की गई थी।
- (4) व्यथित होने के कारण, प्रत्यार्थी, आरोपियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा उन पर लगाए एग सजा की मात्रा को चुनौती देते हुए अपील दायर की। आलोच्य आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील को अशंतः स्वीकार किया और सजा को उनके द्वारा पहले से व्यतीत सजा की अविध में बदल दिया, जो कि केवल 4 दिन की अविध थी, जबिक प्रत्येक पर अधिरोपित जुर्माने की राशि को रूपये 1500 / (रूपये एक हजार पांच सौ केवल) तक बढ़ा दिया, प्रत्यार्थी—आरोपीगण को 30 दिनों की अविध के भीतर बढ़ाया गया जुर्माने को जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमे व्यतीक्रम करने की स्थित में उन्हे 30 दिनों की साधारण कारावास की अविध से गुजरना था।
- (5) आलोच्य आदेश से झुब्ध होकर, शासन ने यह वर्तमान अपील, उच्च न्यायालय के प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण की सजा को बदलने वाले आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की था। अपीलार्थी—शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने र्तक दिया कि उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार न करने में त्रुटि कारित की, विशेषकर इस तथ्य को कि प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगणों ने केवल 4 दिन का कारावास गुजारा था।
- (6) दूसरी तरफ, प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगणों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया की उच्च न्यायालय ने आलोच्य आदेश को पारित करने मे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सही रूप से मूल्यांकन किया है और इसलिए, यह न्यायालय उसके के किसी भी गुणदोष पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है।
- (7) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
- (8) आंरभ में, यह ध्यान रखना उचित है कि प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगणों की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकृत करने और आलोच्य आदेश को पारित के लिए उच्च न्यायालय का यह

तर्क कि यह सजा तक सीमित है। उच्च न्यायालय अपने आदेश में कहते है कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए, यह तथ्य कि यह प्रत्यार्थीगण का प्रथम अपराध है और उनके द्वारा पहले से ही सजा की अविध व्यतीत कर ली है तब यह आलोच्य आदेश परित किया जाता है।

(9) इस स्तर पर, इस न्यायालय के अभियुक्त 'X' बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 7 एस.सी. सी. 1, जिसमें हम में से दो सदस्य पीठ के भाग थे, की टिप्पणी भारत में सजा के संबंध में प्रांसिंगक है—

> ''49. आपराधिक प्रतिबंधो का उचित आबटंन, जो कि ज्यादातर न्यायिक शाखा द्वारा दिया जाता है। {निकोला पैडफील्ड, रॉड मॉर्गन और माइक मैगुइयर ''न्यायालय से बाहर,दृष्टि से बाहर'' आपराधिक प्रतिबंधों और कोई न्यायिक निर्णय नहीं", ओक्सफोर्ड, अपराध शास्त्र की पुस्तिका (5 वां, संस्करण)}। विचारण के अंत में होने वाली यह प्रक्रिया अभी भी एक आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावकारिता पर बडा प्रभाव डालती है। यह स्थापित है कि सजा एक सामाजिक-कान्नी प्रकिया है जिसमें एक न्यायाधीश तथ्यात्मक, परिस्थितियों और ओचित्य पर विचार करते हुए अभियुक्त के लिए उचित दण्ड को ढूढंता है। इस तथ्य के प्रकाश में यह जरूरी हो जाता है कि विधायिका ने न्यायाधीशों को सजा देने के लिए विवेक प्रदान किया, कि इसका उपयोग एक सैद्धांतिक तरीके से करे। हमें यह प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि सजा देने में एक सख्त निर्धारित दण्ड की सोच को माना नहीं जा सकता है जैसा कि न्यायाधीश को पर्याप्त स्वविवेक की जरूरत होती है। इस प्रकरण का परीक्षण करने से पूर्व, हमें सजा देने की प्रक्रिया में तांर्किकता के प्रभाव के प्रश्न को संबोधित करने की जरूरत है। विचारण न्यायालय की तांर्किकता कारित किये गए अपराध की सजा के लिए सामान्य स्तर और तथ्यों और परिस्थितियों के बीच की कड़ी के जैसे कार्य करती है। विचारण न्यायालय को सजा देने के लिए तर्कों को देने के लिए बाध्य है, प्रथमता जैसे कि नैसर्गिक न्याय का मूलभूत सिद्धांत है कि न्यायकर्ता को निर्णय तक पहुँचने के लिए कारण जरूर बताना चाहिए, और दूसरा कारण अधिक महत्व रखता है क्योंकि अभियुक्त

की स्वतत्रंता उपरोक्त वर्णित तर्क के अधीन है। इसके आगे, अपीलीय न्यायालय के पास चुनौती दी गई सजा की मात्रा की शुद्धता को जाँचने के लिए उत्तम सुविधा से सुसज्जित है, यदि विचारण न्यायालय ने कारणों सहित उचित बताया है.........."

(जोर दिया गया)

- 10. वर्तमान प्रकरण में, यह स्पष्ट है कि प्रकरण के तथ्यों, कारित की गई चोटों की प्रकृति, प्रयोग किए गए हथियार, घायलों की संख्या इत्यादि का गहन परीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए आलोच्य आदेश में नहीं है। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को सजा देते हुए यहां पर प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा—452 के अंतर्गत सिद्ध हुए दूसरे आरोप को विचारण में नहीं लिया है। यहां तक की यह तथ्य कि प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण ने आलोच्य आदेश के पारित होने के समय केवल चार दिन की सजा भुगती थी, जो उच्च न्यायालय को उनके सजा को कम करने के कारण को दर्शित करने को प्रश्नगत करता है। जैसा कि, इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के गुण—दोष में हस्तक्षेप किया जाता है।
- 11. हमारी यह राय है कि निचले न्यायालय द्वारा अपर्याप्त या गलत सजा दिये जाने के कारण इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में प्रकरण दायर किये जा रहे है। हमें समय है और हम फिर से दोषपूर्ण तरीके के विरूद्ध चेतावनी देते है जिसमें की कुछ प्रकरणों में सजा से निपटते है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सजा देने के पहलुओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जैसे आपराधिक न्याय व्यवस्था का यह भाग समाज पर निर्णायक प्रभाव डालता है। इसके प्रकाश में हमारी राय है कि हमें इसको और स्पष्टता प्रदान करने की जरूरत है।
- 12. अपराधों के लिए सजा को तीन परीक्षण अर्थात अपराध परीक्षण, आपराधिक परीक्षण और तुलनात्मक अनुपात परीक्षण के मापदण्ड पर परीक्षण किया जाना है। अपराध परीक्षण के कारकों में जैसे अपराध की योजना की सीमा, अपराध में इस्तेमाल हथियार का चुनना, अपराध का तरीका, अपराध कारित करना (यदि कोई हो), अभियुक्त की भूमिका, अपराधी की असामाजिकता या घिनौना चरित्र, पीड़ित की दशा सम्मलित रहते है। आपराधिक परीक्षण में कारकों का मूल्यांकन जैसे अपराधी की आयु, अपराधी का लिंग, अपराधी की आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्टभूमि, अपराध के लिए प्रेरणा, प्रतिरक्षा की उपलब्धता, मानसिक स्थिति, मृतक या मृतक के समूह में से किसी के द्वारा उत्प्रेरण, विचारण में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व, न्यायाधीश द्वारा

अपीलीय प्रक्रिया में असहमित, पछतावा, सुधार की संभावना, पूर्ववर्ती आपराधिक अभिलेख (लंबित प्रकरणों को न लेना) और कोई अन्य सुसंगत कारण (एक विस्तृत सूची नहीं है) सम्मिलत रहते है।

- 13. इसके अतिरिक्त, हमें यह ध्यान दे सकते है कि अपराध परीक्षण के अंतर्गत गंभीरता को सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है। अपराध की गंभीरता को (i) पीड़ित की शारीरिक सम्पूर्णता; (ii) भौतिक समर्थन या सुख—सुविधा की हानि; (iii) मानभंग की सीमा; और (iv) निजता के उल्लंधन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है।
- 14. उचित सजा पर आते है जो कि इस प्रकरण में प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तों को दी जानी है, इस प्रकरण के तथ्यों को करीब से जाँच करने की आवश्यकता है। प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तों ने परिवादी के घर में प्रवेश किया, अन्य मौजूद लोगो पर कुल्हाड़ी और लाठ़ियों से हमला किया । चार लोग परिवादी सहित घायल हो गए। कारित की गई चोटों से पीड़ित के हाथों और पीठ पर कटे हुए घाव हो गए थे, पीड़ित के कान के बगल से एक कटा हुआ घाव और खरोचें इत्यादी थे। प्रत्यार्थीगणों—अभियुक्तों को अपराध के लिए भा.द.सं. की धारा—326 सहपठित धारा—34 के अंतंगत दोषसिद्धि की गई जिसमें अजीवन कारावास की अधिकतम सजा या एक अविध का कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना होती है। उन्हें भा.द.सं. की धारा—452 के अंतंगत भी दोषसिद्धि किया गया, जिसमे सात वर्ष का अधिकतम कारावास के साथ जुर्माना होता है।
- 15. इस घटना के समय यह प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण क्रमशः 33 वर्ष, 33 वर्ष, 28 वर्ष और 70 वर्ष की आयु के पुरूष थे। प्रत्यार्थी क्रमांक—1 और 3 के विरूद्ध मुख्य आरोप यह है कि इन्होंने पीड़ित पर हमला करने के लिए एक कुल्हाड़ी का उपयोग किया था। इस झगड़े में यह कोई विवाद नहीं है कि कुछ प्रत्यार्थीगण—आरोपीगण भी बुरी तरह से घायल हुए थे। इसके अलावा हेतुक से प्रतीत होता है कि पीड़ित की गाय अभियुक्त के घर में घुस गई थी और प्रत्यार्थी क्रमांक—1 अपने सह—अभियुक्त के साथ यहां आक्रमणकारी साबित होता है। अभिलेख के परिशीलन से, पीड़ितों में से कुछ पर चोटों को विशेषरूप से जिम्मेदार नहीं टहराया जाता है। प्रतिवादी समूह संख्यात्मक रूप से पीड़ितों के समूह से मेल खाता था और समूह में दो प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण लाठी लिए हुए थे। शारीरिक सम्पूर्णता से कारित की गई चोटों के परिणामस्वरूप समझौता किया गया, परन्तु किसी भी भाग के स्थाई परिष्कार को इंगित करने

का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। हमले के कारण निजता के घुसपैठ की सीमा भी न्यूनतम है। अपराध में कोई भौतिक विनाश शामिल नहीं था।

- 16. इस परिपेक्ष में, हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रकरण के ऊपर प्रकाश डालने वाले तथ्यों को यद्यपि उस तथ्य के साथ संतुलन बनाने की आवश्यकता है कि यह प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण द्वारा कारित किया गया प्रथम अपराध था और वह हेतुक, जिसे तुच्छ बताया जाता है। यहां कारित किये गये अपराध का उपचार अन्य अपराधों की आपत्तिजनक स्थिति जैसे कि पुलिस अत्याचार आदि से अन्य तरीके से उपचार करने की आवश्यकता है। (यशवंत विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 2018 सु.को. 4067) इस तथ्य के संबंध में कि अपराध कारित करने की दिनांक वर्ष 2008 की है और इस तरीके से प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तगण केवल चार दिन के कारावास की व्यतीत की गई सजा के साथ रूपये 1500 जुर्माने का आदेश किया गया है, हमें इसमें बढ़ोत्तरी करके प्रत्यार्थीगण—अभियुक्तों के दोष के साथ एकरूपता लाने की आवश्यकता है।
- 17. तुलनात्मक रूप से, इस न्यायालय के कुछ पूर्व उदाहरणों का परिशीलन करने के बाद, हमारी निश्चित राय है और परिणामस्वरूप निर्देशित करते है कि प्रत्यार्थी कमांक—1,2 और 3 को भा.द.सं. की धारा—326 सहपठित धारा—34 के अंर्तगत कारित किये गये अपराध के लिए 3 माह का सश्रम कारावास को भुगतने और प्रत्येक को रूपये 75,000/— (रूपये पचहत्तर हजार मात्र) के जुर्माने का एक माह के भीतर भुगतान की सजा से दिण्डित करते है, जिसके भुगतान करने के व्यतीक्रम पर उन्हें तीन माह के लिए साधारण कारावास भुगतना है। प्रत्यार्थी कमांक—1,2 और 3 को भा.द.सं. की धारा—452 के अंर्तगत अपराध के लिए तीन माह का सश्रम कारावास और प्रत्येक को एक माह की कालाविध के भीतर जुर्माने के रूपये 25,000/— (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का भुगतान करने की सजा दी जाती है, जिसके भुगतान करने के व्यतीक्रम पर उन्हें तीन माह के लिए साधारण कारावास भुगतना है।
- 18. प्रत्यार्थी क्रमांक—4 जो की वर्तमान में 80 वर्ष के आसपास है को भा.द.सं. की धारा—326 सहपिटत धारा—34 के अंर्तगत अपराध के लिए दो माह के लिए सश्रम कारावास भुगतने की सजा और एक माह की कालअविध के भीतर जुर्माने के रूपये 50,000 /— (रूपये पच्चास हजार मात्र) का भुगतान करने की सजा दी जाती है, जिसके भुगतान करने के व्यतीक्रम पर उसे एक माह के लिए साधारण कारावास भुगतना है। प्रत्यार्थी कंमाक—4 को भा.द.सं. की धारा—452 के अंर्तगत अपराध के लिए दो माह के लिए सश्रम कारावास भुगतने की सजा और एक माह की

कालअविध के भीतर जुर्माने के रूपये 15,000 / — (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) का भुगतान करने की सजा दी जाती है, जिसके भुगतान करने के व्यतीक्रम पर उसे एक माह के लिए साधारण कारावास भुगतना है।

- 19. उपरोक्त सजाओं को एक साथ भुगतना है। इसके आगे प्रत्यार्थीगण को उपरोक्तवर्णित दी गई उनकी बाकी सजा को भुगतने के लिए तुरंत हिरासत में लेने के लिए निर्देशित किया जाता है।
- 20. परिणामस्वरूप, यह अपील अशंतः स्वीकार की जाती है और उपरोक्त वर्णित शर्तों तक उच्च न्यायालय के आलोच्य आदेश में परिवर्तन किया जाता है।

.....न्यायमूर्ति
(एन. वी. रमन्ना)
.....न्यायमूर्ति
(मोहन एम. शांतनगौदर)
.....न्यायमूर्ति
(अजय रस्तोगी)

नई दिल्ली; अगस्त 22, 2019.

ः खंडन ः

क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिये है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिये प्रभावी माना जावेगा।